न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–69/2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम जितेन्द्र राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/6/2018	**आदेश** आवेदक जितेन्द्र राय, पिता–गजेन्द्र राय, ग्राम बघड़ा, थाना–बहेड़ी, जिला–दरभंगा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहेड़ी थाना कांड संख्या–08/17 में जब्त वाहन टैम्पु नं0–**BR07PA-7904** की विमुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–729/2018 में दिनांक 27.04.2018 को पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन दिया गया है। जब्त वाहन के विमुक्त हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश में मो0 2,00,000 (दो लाख) रुपये मात्र के बैंक गारंटी या उक्त राशि के बराबर जमीन से संबंधित Deed या अन्य प्रतिभूति जिसका मूल्य 2,00,000 (दो लाख) रुपये मात्र हो जमा करने के पश्चात वाहन विमुक्ति आदेश पारित है। उक्त के आलोक में आवेदक द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से बंधपत्र तथा एक प्रतिभूति राघवेन्द्र राय पिता–गजेन्द्र राय, मु0–बलभद्रपुर, पो0+थाना– लहेरियासराय, दरभंगा, वाहन मारूति सुजूकी ऑल्टो पंजीयन संख्या– **BR07V-2276** कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–2,88,810 (दो लाख अठासी हजार आठ सौ दस) रुपये मात्र का दिया गया है। दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित है। जिसे सम्यक जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल प्रतिभूति, शपथ–पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–724/2018 में दिनांक 27.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में बहेड़ी थाना कांड संख्या–08/2017 में जब्त वाहन टैम्पु पंजीयन संख्या–**BR07PA-7904** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। पारित आदेश वाहन विमुक्ति हेतु, प्राप्त बंध–पत्र की प्रति माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त पारित आदेश की प्रति के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष, बहेड़ी को भेजें। उन्हें निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कंडिका (iii) में पारित आदेश के आलोक में वाहन विमुक्ति से पूर्व फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कराकर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखेंगे। आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें। आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे। आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा 13/6/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	

D:\2018\Excise Order\Jitendra Rai 69-2017 (CWJC).doc